भारत सरकार, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे, आर.बी.–।।।/422/1–2, नेहरू रेलवे कॉलोनी, हाऊबाग जबलपुर (मध्य प्रदेश) – 482001
रोजगार सूचना सं0 –05/10 पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' भर्ती
अधिसूचना जारी करने की तिथि – 15.12.2010 आवेदन पत्रा जमा करने की अंतिम तिथि 14.02.2011, 18:00 बजे तक
वेबसाइट का पता– **www.wcr.indianrailways.gov.in**

1.1 पश्चिम मध्य रेल में पी.बी.–। रु. 5200–20200 ग्रेड पे 1800 (पूर्व ग्रुप–डी) कोटियों में रिक्त पदों को भरने के लिये भारतीय नागरिकों तथा ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योग्य घोषित किया गया है, अच्छी किस्म के सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

1.2 आवेदन पत्रा निर्धारित प्रारूप में अंतिम तिथि 14.02.2011 को 18.00 बजे तक साधारण डाक से सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे, आर.बी.–।।।/422/1–2, नेहरू रेलवे कॉलोनी, हाउबाग जबलपुर (मध्य प्रदेश)–482001 को संबोधित कर भेजें जा सकते है या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.बी.–।।।/422/1–2, नेहरू रेलवे कॉलोनी, हाउबाग जबलपुर में इस उद्देश्य के लिए बने आवेदन बॉक्स में (अवकाश के दिन अर्थात शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) सभी कार्यालय दिवस में डाले जा सकते हैं।

1.3 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि 01.03.2011 समय 18.00 बजे तक होगी।

1.4 अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

1.1 जिस लिफाफें में आवदेन पत्रा भेजें उसके ऊपर भपीबी–। रु. 5200–20200 ग्रेड पे 1800 (पूर्व ग्रुप–डी) में भर्ती हेतु आवेदन पश्चिम मध्य रेलवे के साथ ही समुदाय (अनु.जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग /सामान्य / भू.पू. सैनिक) अवश्य लिखा होना चाहिए। शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थी लिफाफे के दाहिने तरह ऊपर बड़े अक्षरों में भशारीरिक रूप से अशक्त अवश्य लिखें ।

1.2 आवेदन पत्रा उम्मीदवार द्वारा स्वयं की हस्तलेख में भरा तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए, अन्यथा किसी भी चरण में पता चलने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। उम्मीदवार को केवल एक आवेदन पत्रा प्रस्तुत करना चाहिए भलें ही वह एक से अधिक कोटियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हो। एक से अधिक आवेदन पत्रा प्रस्तुत करनें वाले उम्मीदवारों के आवेदन –पत्रा प्रस्तुत करने पर कोई विचार नही किया जाएगा। यदि ऐसा उम्मीदवार चयनित हो भी जाता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे निर्देशानुसार प्राथमिकता क्रम में कोटियों तथा तैनाती के स्थान का विकल्प दें, लेकिन इससे उम्मीदवारों को किसी तरह का पदस्थापना का अधिकार नहीं होगा। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन के पास सफल उम्मीदवारों को कोई भी पद/स्थान आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

1.3 शारीरिक दक्षता जांच/लिखित परीक्षा आदि की तिथि और समय प्रशासनिक सुविधानुसार निर्धारित किया जाएगा । किसी भी स्थिति में परीक्षा के समय,तिथि और परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.4 कृपया नोट करें कि सभी रेलवे द्वारा एक ही समय में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसी प्रकार लिखित परीक्षा भी सभी रेलों पर एक ही समय पर आयोजित की जायेगी।

1.9 किसी भी तरह का दबाब या अनुचित तरीके अपनाये जाने का प्रयास करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

1.10 भर्ती का आयोजन रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे (अब से आगे रे.भ.प्र./पमरे) के द्वारा किया जाएगा।

2. पद एवं रिक्तियों का नाम तथा समुदायवार विवरण जिनके लिए पमरे में भर्ती की जा रही है :–

क.	पद का नाम	मेडिकल केटेगरी	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	कुल पद	विकलांग
1	ट्रैकमैन/कीमैन	बी–1	727	389	216	108	1440	
2	गेटमैन/ट्रालीमैन	ए–3	27	14	8	4	53	
3	हेल्पर–यांत्रिक	बी–1	335	179	99	50	663	
4	हेल्पर–इंजीनियरिंग	बी–1	55	29	16	8	108	
5	हेल्पर–एसएन्डटी	बी–1	32	17	10	5	64	

6	ट्रालीमैन–एसएन्डटी	ए–3	3	1	1	0	5	
7	स्टेशन पोर्टर	ए–2	3	2	1	0	6	
8	प्वाइंटस्मैन	ए–2	49	26	15	7	97	
9	पार्सलपोर्टर / डी / पोर्टर / स्केल पोर्टर	सी–1	15	8	4	2	29	
10	सफाईवाला	सी–2	50	27	15	8	100	
11	हॉस्पिटल अटेन्डेन्ट	सी–1	3	2	1	1	7	
12	प्यून	सी–2	2	1	0	0	3	
13	कॉलबाय	सी–1	3	2	1	1	7	
14	बॉक्सबाय	बी–1	4	2	1	1	8	
15	रनिंग रूम बैरा / डब्ल्यू आर ए / आर आर ए	सी–2	3	2	1	0	6	
16	वाचमैन	सी–2	3	2	1	1	7	
17	स्टोर खलासी	बी–1	35	18	10	5	68	
कुल पद			1350	721	400	200	2671	80

नोट– शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को रेलवे मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए ऐसे अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी । ऊपर में दर्शाए गए शारीरिक विकलांग कोटे के आरक्षित पदों की स्थिति पूर्ण / सर्वसमावेशी नहीं है ।

क) ऊपर दर्शायी गयी रिक्तियॉ अनंतिम है और भर्ती के किसी भी चरण में कोटिवार / समुदायवार इसमें परिवर्तन हो सकता है ।

ख) शारीरिक रूप से विकलांग कोटि की ऊपर दर्शाई गयी रिक्तियॉ अलग से नहीं हैं बल्कि उन्हें रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल किया गया है ।

ग) इस अधिसूचना में भू.पू. सैनिकों की रिक्तियॉ शामिल नहीं हैं क्योंकि भू.पू. सैनिकों हेतु दिनांक 04.12.2010 को अलग से 956 हेतु रिक्तियॉ अधिसूचना संख्या 4 / 10 दिनांक 04.12.2010 द्वारा जारी कर दी गयी है ।

संक्षिप्तियॉः–

;1द्ध	अ. जा.	अनुसूचित जाति	;9द्ध	पीईटी	शारीरिक दक्षता परीक्षा
;2द्ध	अ. ज. जा.	अनुसूचित जन जाति	;10द्ध	डब्ल्यू / एस	वर्कशॉप
;3द्ध	अ. पि. व.	अन्य पिछड़ा वर्ग	;11द्ध	शा. वि.	शारीरिक विकलांग
;4द्ध	अना.	अनारक्षित	;12द्ध	ओ. एच.	आर्थोपेडिक हैण्डीकैप्ड
;5द्ध	भू.सै.	भूतपूर्व सैनिक	;13द्ध	एच. एच.	हियरिंग हैण्डीकैप्ड
;6द्ध	रे. भ. प्र.	रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ	;14द्ध	एस. आर. ई.	सेवारत रेल कर्मचारी
;7द्ध	प. म. रे.	पश्चिम मध्य रेलवे	;15द्ध	एसएण्डटी	संकेत एवं दूरसंचार
;8द्ध	आ. प.	आवेदन पत्र			

3. **शैक्षणिक अर्हता** :– न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या आई.टी.आई. या समकक्ष । जिन कर्मचारियों ने 10वीं कक्षा या आई.टी.आई. या समकक्ष की अन्तिम परीक्षा दी है परन्तु परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया है, वे पात्र नहीं होंगे । शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक / बोर्ड से प्राप्त की हों अन्यथा उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । उच्चतर शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

4. छूट के प्रावधानों सहित आयु सीमा :–

4.1 उक्त सभी रिक्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष होगी तथा दिनांक 01.01.2011 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी ।

4.2 उपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगी, बशर्ते कि अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हो :–

;पद्ध उपयुक्त प्राधिकारी से जारी वैध जाति–प्रमाणपत्र रखने वाले अजा / अजजा उम्मीदवारों हेतु पॉच वर्ष और अपिव उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष ।

;पपद्ध केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड के द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शारीरिक विकलांग कोटा के अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में दस वर्षों की छूट ;अ. जा. / अ.ज.जा. के मामले में पन्द्रह वर्ष व अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में तेरह वर्षद्ध दी जाएगी ।

;पपपद्ध रेलवे में कार्यरत कैजुअल श्रमिक या एवजी, जिनकी न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा हो चुकी है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य, अपिव, अजा / अजजा के मामले में क्रमशः – 40, 43 और 45 वर्ष होगी ।

;पअद्ध रेलवे संगठन के अर्ध–प्रशासनिक कार्यालयों जैसे कि रेलवे, कैंटीन, रेलवे संस्थानों तथा रेलवे सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी 3 वर्ष की सेवा हो चुकी है, उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। जो कि अधिकतम 5 वर्ष होगी ।

;अद्ध विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को जो न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई हैं तथा पुनर्विवाह नहीं किया है, आयु सीमा में सामान्य, अपिव और अजा/अजजा उम्मीदवार के मामले में क्रमशः 35, 38 और 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

;अपद्ध आयु में पॉच वर्ष की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जो पहली जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं काश्मीर राज्य की कश्मीर डिवीजन के साधारणतः अधिवासी रहे हैं लेकिन उन्हें जम्मू एवं काश्मीर सरकार के उपयुक्त अधिकारी से जारी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

;अपपद्ध भूतपूर्व सैनिकों के मामले में उपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा रक्षा सेनाओं में व्यतीत सेवा में 3 वर्ष जोड़कर दी जाएगी बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 6 माह की सत्यापित सेवा की हो । ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पहले ही उन्हें प्राप्त अन्य लाभों का फायदा उठाकर सिविल सेवा में ज्वाइन कर चुके हैं, भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आगे लाभ का दावा नहीं कर सकते तथा ऐसे व्यक्तियों को सिविल कर्मचारी माना जाएगा तथा तदनुरूप वे सिविल कर्मचारियों को मिलने वाले केवल आयु में छूट आदि जैसे लाभ ही प्राप्त कर सकेंगे । भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदो के तहत भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री/आश्रित ;वार्डद्ध आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।

;अपपपद्ध अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी । उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी।

4.3 **<u>आयु का प्रमाण</u>** : (क) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या (ख) शैक्षणिक प्राधिकारी के द्वारा आठवीं कक्षा के लिए जारी प्रमाण पत्र (ग) मान्यताप्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समकक्ष (घ) विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जिस पर विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी आदि के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों ।

5. <u>परीक्षा शुल्क :–</u>

5.1 अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला अल्पसंख्यक/रूपये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसकी वार्षिक आय रु. 50,000/– से कम हो, के लिये परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा।

5.2 अनारक्षित और अपिव उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रू. ;केवल चालीस रूपयेद्ध है ।

5.3 परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय है ;वापसी न करने योग्य हैद्ध । परीक्षा शुल्क का भुगतान जबलपुर में देय भ**<u>वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर</u>** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित डिमान्ट ड्राफ्ट या डाकघर से जारी रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर ;आई.पी.ओ.द्ध के रूप में किया जाना चाहिए । डिमान्ड ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल ऑर्डर ;आई.पी.ओ.द्ध की वैधता न्यूनतम छः माह की होनी चाहिए ।

5.4 उम्मीदवार बैंक ड्राफ्ट के पीछे/भारतीय पोस्टल आर्डर में सामने की ओर दिए स्थान पर रोजगार सूचना संख्या, आवेदित पद का नाम, पद की कोटि संख्या तथा डाक का पता लिखें ।

5.5 बैंक ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल आर्डर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

5.6 बैंक ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से परीक्षा शुल्क का ब्यौरा आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर भी दिया जाये ।

5.7 जहॉ लागू हो वहॉ परीक्षा शुल्क के रूप में निर्धारित राशि के बैंक ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल आर्डर के बिना प्रेषित आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा ।

5.8 अल्पसंख्यक का अर्थ है – मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख,बौद्ध और पारसी । परीक्षा शुल्क में छूट हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक–प्प् में स्व–घोषणा प्रस्तुत करें । दस्तावेजों के सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट चाहने वाले उम्मीदवार गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर भअल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वह उक्त अल्पसंख्यक समुदाय से है । यदि सत्यापन के दौरान उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी ।

5.9 आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी का अर्थ है, वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 50,000/– से कम है । ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ जारीकर्ता प्राधिकारी के पत्र शीर्ष के पर अनुलग्नक–प्ट में निर्धारित प्रपत्र में आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. **आवेदन कैसे करें :–**

6.1 आवेदन प्रपत्रा भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को इस रोजगार सूचना में उल्लिखित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लेना चाहिए ।

6.2 आवेदन पत्रा उच्च क्वालिटी के ए 4 आकार (210 मि.मी **ग** 297 मि.मी) के सफेद कागज पर केवल एक तरफ भरकर प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

6.3 उम्मीदवारों को इस रोजगार सूचना में दिए गए निर्धारित प्रोर्फामा का इस्तेमाल करना चाहिए । प्रोर्फामा में किसी तरह की बदलाव की स्थिति में आवेदन पत्रा निरस्त कर दिया जाएगा ।

6.4 उम्मीदवारों को अपनी खुद की लिखावट में काले जेल पेन /काले बाल प्वाइंट पेन से अपेक्षित सूचना भरनी चाहिए । लिखावट पठनीय एवं बड़े अक्षरों में होनी चाहिए।

6.5 आवेदन पत्रा हिन्दी या अंग्रेजी में होने चाहिए तथा अन्य किसी भाषा में नही होने चाहिए। जहां आवश्यक हो, सही कोड लिखें। केवल अंतर्राष्ट्रीय अंकों (जैसे– 1,2,3 आदि) का प्रयोग करें । आवेदन पत्रा पर तिथि का उल्लेख हो तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाएं। ऐसे आवेदन पत्राों को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा जो हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में भरें होगें तथा आवेदक के जगह किसी अन्य व्यक्ति ने आवेदन पत्रा भरा हो या हस्ताक्षर किया हो , भले ही इसकी जानकारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पता चले ।

6.6 जिस लिफाफे में आवदेन पत्रा भेजें उसके ऊपर '' पी बी..ः रूपये 5200–20200, ग्रेड पे 1800 ;पूर्व ग्रुप–डी पदद्ध में भर्ती हेतु आवेदन– पश्चिम मध्य रेलवे'' के साथ ही समुदाय (अनु.जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग /सामान्य / भू.पू. सैनिक) अवश्य लिखा होना चाहिए। शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थी लिफाफे के दाहिने तरह ऊपर बड़े अक्षरों में **''शारीरिक रूप से अशक्त''** अवश्य लिखें । एक लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्रा होना चाहिए। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्रा भेजने पर सभी आवेदन पत्राों को निरस्त कर दिया जाएगा ।

6.7 उम्मीदवारों को विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्रा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करते हुए साघारण डाक से प्रेषित करें ताकि ये हर हाल में अंतिम तिथि तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/ पश्चिम मध्य रेलवे, कार्यालय में पहुंच जाएं । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्राों पर कारण चाहे जो भी हों, विचार नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट/कुरियर/पंजीकृत लिफाफों की पावती नही दी जाएगी एवं इन्हें साधारण डाक द्वारा प्रेषित माना जाएगा ।

6.8 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरणी की स्पेलिंग सही तरीके से ठीक वैसी ही लिखी जाये जैसे कि उनके मूल प्रमाण पत्रा में लिखी गई है।

6.9 नीचे वर्णित पैरा (घोषणा) उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्रा में दिए गए स्थान में अपने हस्तलेख में लिखा जाना चाहिए न कि बड़े अक्षरों में:–
''मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हॅू कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन में दिये गये सभी तथ्य व साक्ष्य मेरी जानकारी व विश्वास में सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं इस बात से अवगत हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी चरण में गलत/असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी पूर्ण तौर से निरस्त कर दी जाएगी और मेरे ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिसूचना में दी गई अनुदेशों का मैं अनुपालन करूंगा/करूंगी।''

6.10 आवेदक के हस्ताक्षर विशिष्ट प्रकार के होने चाहिए ताकि आसानी से कोई उनकी नकल न कर सकें, बड़े अक्षरों या खुले अक्षरों या संक्षिप्त रूप में या स्थान देकर लिखे गए अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नही किये जाएगें तथा इस प्रकार के हस्ताक्षरों से युक्त आवेदन पत्राों को पूर्णरूपेण निरस्त कर दिया जाएगा।

6.11आवेदन पत्रा, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्रा, प्रवेश पत्रा एवं अन्य जगहों पर एक समान हस्ताक्षर करने चाहिये। अलग अलग प्रकार के हस्ताक्षर होने पर उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है।

6.12आवेदन पर अंगूठे के निशान सुस्पष्ट और पूर्ण होना चाहिये (विशेष कर मध्य भाग) सभी रेखायें स्पष्ट दिखनी चाहिये।

6.13 अभ्यार्थी को अपने दो स्पष्ट दिखने वाले पहचान चिन्ह जैसे तिल या निशान का उल्लेख करना चाहिये। सामान्यतः ये वे ही निशान होने चाहिये जो किसी सरकारी दस्तावेज जैसे स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्रा आदि में हो।

6.14अभ्यार्थी का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं पते को मशीन द्वारा स्कैन किया जायेगा। मशीन सिर्फ अच्छे गुणवत्ता वाले फोटो, जिसके पृष्ठ भाग हल्के रंग का हो और 1 माह से अधिक पुराना न हो, को ही पहचानता है।

6.15 अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्रा, व्यक्तिगत डाटा शीट, पोस्टल आर्डर एवं डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटो कॉपी अपने पास रखें ताकि डाक में किसी गड़बड़ी होने पर पीईटी/लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्रा न मिलने की दशा में डुप्लीकेट बुलावा पत्रा के लिए आवश्यकता के समय दिखाया जा सके।

6.16 आवेदन पत्रा में अधिलेखन(ओवरराइटिंग) करने, कॉट–छांट करने एवं मिटाये जानें पर तथा अपूर्ण आवेदन पत्रा निरस्त कर दिया जायेगा।

6.17 अभ्यर्थियों को चाहिए कि कक्षा दस के प्रमाणपत्रा में दिए अनुसार अपना नाम (कॉलम सं.1 में) व पिता/पति का नाम (कॉलम सं.2 में) बड़े अक्षरों में भरें। प्रत्येक अक्षर को निर्धारित प्रोफार्मा में निम्नवत दिए गए बॉक्स के अन्दर भरा जाना चाहिए व नाम के दोनों भागों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ा जाना आवश्यक है ।

म	नो	ज		कु	मा	र				

नोट– अभ्यर्थी अपने नाम/पिता के नाम/पति के नाम के पूर्व श्री/श्रीमती/कुमार/स्वर्गीय न लगायें।

6.18 कॉलम 3 में निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम लिखें ।

6.19 अभ्यार्थी कॉलम 4 में पत्राचार का पता लिखें । पत्राचार का पता बड़े अक्षरों में साफ– साफ भरा जाना चाहिए। पता पठनीय, पूर्ण एवं पिन कोड सहित होना चाहिये। इस कालम का आकार 8 सेमी ग 4 सेमी का है। इसे बदला न जाये अन्यथा, स्कैनिंग के दौरान पता अपठनीय हो जायेगा जिससे परिवहन के दौरान पत्राचार गलत जगह पहुंच सकता है।

6.20 कृपया कॉलम 5 के उपयुक्त बाक्स में (पुरूष/स्त्री) निर्दिष्ट करें। अभ्यर्थी कॉलम 6 में अपनी राष्ट्रीयता लिखें।

6.21 कॉलम 7 में अभ्यर्थी अपना धर्म उचित बॉक्स में निम्न रूप से दिए गए सही कोड लिख कर इंगित करें।

धर्म	हिन्दू	मुस्लिम	सिख	ईसाई	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कोड	01	02	03	04	05	06	07	08

6.22 कालम संख्या 8 में अकेला या विवाहित की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट करें।

6.23 कॉलम 9 में उम्मीदवार अंकों में जन्म तिथि लिखें तथा दिनांक, माह और वर्ष का प्रत्येक अंक एक–एक बॉक्स में लिखें । यदि इन अंकों में से कोई एक ही अंक है तो उसे दोहरा बनाने के लिए उसके आगे शून्य लगा दें । उदाहरण के लिए – यदि उम्मीदवार 5 सितम्बर 1985 को पैदा हुआ तो वह दिनांक में 05, माह में 09 तथा वर्ष में 1985 लिखेगा ।

6.24 कॉलम 10 में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को अपनी विकलांगता के प्रकार(ओएच/एचएच/वीएच) एवं विकलांगता का प्रतिशत उचित बाक्स में लिखना चाहिए।

6.25 अभ्यर्थी कॉलम 11 में अपना समुदाय उचित बाक्स में लिखें तथा यदि लागू हो तो वैध जाति–प्रमाणपत्रा की स्व–साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें।

6.26 उक्त पैरा 4 में वर्णित किन्ही कोटियों में आयु में छूट हेतु नीचे दिए उचित कोड को कॉलम संख्या 12 में भरा जाये।

कोटि	अ. पि.व.	अ.जा.	अ.ज. जा.	शारीरिक विकलांग	भू.पू. सै.	एस. आर.ई.	अर्द्ध प्रशा0 कर्मचारी	कानूनी रूप से अलग महिला/विधवा	काश्मीरी मूल निवासी
कोड	01	02	03	04	05	06	07	08	09

6.27 कॉलम 15 में उच्चतम पूर्ण की गई शिक्षा ;केवल एक शिक्षाद्ध और संबद्ध ब्यौरा लिखें ।

6.28. यदि उम्मीदवार किसी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम या रेलवे में कार्यरत है तो वह दूसरा विवरण कॉलम 13 में लिखेगा । कॉलम 14 में वह उस संगठन का नाम लिखेगा जिसमें वह सेवारत है ।

6.29. कॉलम 16 में उम्मीदवार निर्धारित बॉक्स में सही का निशान लगाकर दर्शाएगा कि क्या वह भू.पू. सैनिक है या नहीं और उसकी स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करेगा ।

6.30. यदि उम्मीदवार परीक्षा शुल्क से छूट चाहता है तो वह कॉलम 17 में छूट की कोटि दर्शाएगा ।

6.31. उम्मीदवार आवेदन पत्रा के साथ कालम 18 में स्वसत्यापित प्रमाणपत्राों की सूची लिखेगा।

6.32. कालम 19 में उम्मीदवार पहचान के दो चिह्न दर्शायेगा।

6.33. उम्मीदवार कालम 20 में परीक्षा शुल्क का ब्यौरा (जैसा कि पैरा 5 में वर्णित है)और अन्य विवरण भरेगा।

6.34. उम्मीदवार अपने नमूना हस्ताक्षर और स्पष्ट बायें व दाहिने अंगूठे के निशान आवेदन पत्रा में दिये गये स्थान पर दर्शायेगा ।

6.35. उम्मीदवार अपना पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ संलग्न करेगा जो हल्की पृष्ठभूमि में लिया गया हो , एक माह से अधिक पुराना न हो, बिना टोपी या बिना रंगीन चश्मे के हो। फोटो पर कोई निशान न लगाया जाये, न हस्ताक्षर किये जायें। फोटो को साक्ष्यांकित न कराया जाये । फोटो को स्टेपल या पिन न किया जाये बल्कि सफाई से चिपकाया जाये। उम्मीदवार फोटो के नीचे दिये गये स्थान पर अलग हस्ताक्षर करें।

7. संलग्नकः

आवेदन–पत्रा के साथ अभ्यर्थी के द्वारा केवल निम्नलिखित संलग्नक की स्वअभिप्रमाणित प्रति नीचे दर्शाये गये अनुक्रम में संलग्न किए जाने चाहिए। ऐसे सभी प्रमाण–पत्रा जो कि हिन्दी या अंग्रेजी के

अलावा किसी अन्य भाषा में है,हिन्दी या अंग्रेजी में अनुदित कराये जाने चाहिए तथा मूल प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जानी चाहिए ।

;पद्ध अनारक्षित एवं अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों को पैरा 5 में दिए गए निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क के रुप में 40/– का आई.पी.ओ./बैंकड्रॉफ्ट संलग्न करना चाहिए तथा इसे आवेदन पत्रा के सबसे ऊपर में संलग्न करें ।

;पपद्ध पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ (1 माह से अधिक पुराने न हों), जो कि बगैर टोपी एवं चश्मा/रंगीन चश्मा पहने खींचे गए हों इनमें से एक को आवेदन प्रपत्रा में चिपकाएं और उसके नीचे बॉक्स में हस्ताक्षर करें, जैसे कि उपर कहा गया है। फोटो पर कोई निशान न लगायें या हस्ताक्षर ना करें। फोटो पर सत्यापन की आवश्यकता नहीं है । फोटो अच्छी तरह से चिपकाए जाने चाहिये और इसे पिन या स्टेपलर नहीं किया जाना चाहिये। दूसरे फोटो ग्राफ के पीछे अपना नाम एवं जन्मतिथि लिखकर आवेदन के साथ संलग्न करें। उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि पुराने एवं अस्पष्ट फोटोग्राफ एंव उम्मीदवार के शारीरिक गठन एवं फोटोग्राफ में अधिक अंतर होने पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

;पपपद्ध आवेदन पत्रा

;पअद्ध कॉलम 15 में उल्लेखित केवल एक उच्चतर शैक्षणिक योग्यता की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

;अद्ध 4.3 पैरा के अनुसार जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्रा की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

;अपद्ध अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्रा की सत्यापित प्रति संलग्न करें। अजा/अजजा तथा ऐसे अभ्यर्थी जो एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से विस्थापित होकर दूसरे राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में बस गये है, के लिये मसौदा प्रपत्रा परिशिष्ट । एवं अपिव के लिए परिशिष्ट ।। में दिया गया है।

;अपपद्ध भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से नियमित सेवा की अवधि आदि का उल्लेख करते हुए जारी प्रमाण–पत्रा की स्व सत्यापित प्रति।

(अपपप) शारीरिक विकलांग (च्ल्द्ध कोटा के अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम अधिकारी (केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड) के द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण–पत्रा की स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें।

(पग) नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्रा मूल रूप में , यदि पहले से सेवारत हैं।

(ग) मूल निवासी प्रमाण पत्रा यदि कर्मचारी अण्डमान निकोबार , लक्षदीप एवं जम्मू काशमीर का निवासी है।

(गप) अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अपने आवेदन पत्रा के साथ परिशिष्ट ।।। में यथा उल्लेखित ''स्वयं घोषणा'' प्रस्तुत करना चाहिए ।

(गपप) आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अपने आवेदन पत्रा के साथ परिशिष्ट प्ट में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्रा में लेटर हेड पर आय प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना चाहिए ।

7.1 <u>कृपया ध्यान दें</u>:–

(प) उपरोक्त वर्णित संलग्नक के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

(पप) सभी संलग्नक की एक सत्यापित प्रति संलग्न की जानी है । फोटो प्रति स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिये

(पपप) आवेदन पत्रा के साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति संलग्न न करें ।

(पअ) कोई भी प्रमाण–पत्रा, फोटोग्राफ इत्यादि जो आवेदन पत्रा के साथ संलग्न न हो, उसे बाद में अलग से प्राप्त होने पर आवेदन पत्रा में शामिल नहीं किया जाएगा।

(अ)संलग्नकों का विवरण , आवेदन पत्रा पर इसके लिये उपलब्ध जगह पर दिया जाये।

8. <u>भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार</u> :–

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है (क)जिन्होंने भारतीय संघ की नियमित सेना,नौ सेना, या वायुसेना में किसी भी रैंक में (युद्वक या गैर युद्वक) सेवा की है, लेकिन इसमें वे व्यक्ति शामिल नही हैं जिन्होंने रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य आरक्षित इंजीनियरीग फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्द्व सैनिक बलों में काम किया है तथा वे पेन्शन प्राप्त करने के उपरांत ऐसी सेवा से सेवानिवृत हुए है या (ख) उन्हें ऐसे किसी चिकित्सा आघार पर सेवा से मुक्त किया गया है जो कि सैन्य सेवा में बाधक है या उसके नियंत्राण के बाहर की स्थिति हो गई हो तथा उन्हे सैन्य सेवा या अन्य अशक्तता पेन्शन प्रदान की गई है या (ग) उन्हें ऐसी स्थापना में कटौती के कारण उसके स्वयं के अनुरोध पर कार्यमुक्त किया गया हो या (घ) संघ की सशस्त्रा सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवानिवृति के उपरांत भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ जाएंगें, उनकी विनिर्दिष्ट कार्यावधि के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार हेतु आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी छूटों का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, उन्हें तब तक वर्दी छोडने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे संघ की सशस्त्रा सेनाओं में

विनिर्दिष्ट सेवा अवधि को पूरा नहीं कर लेते हैं। ऐसे सभी सेनाकर्मी जो 14.02.2011 को या इससे पूर्व सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने वाले हैं, इस रोजगार सूचना के तहत आवेदन करने के पात्रा हैं । उन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को,जो केन्द्र सरकार में वर्ग 'घ' में भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं ऐसे उम्मीदवारों को केवल आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

9. **शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी :–**

(क) **इस भर्ती के लिये शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी की परिभाषाएं:–**

;पद्ध**श्रव्य विकलांगता (हियरींग हैण्डीकैप्ड/एच.एच)–** बेहतर कान में वार्तालाप रेंज आवृति में 60 डेसीबल या उससे अधिक की कमी।

(पप) **अस्थि विकलांगता (आर्थोपैडिकली हैण्डीकैप्ड/ओ.एच)– चलन अपंगता**–हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों की अपंगता के कारण अंग संचालन में मूल रूप से बाधा या किसी भी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। **प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात–** प्रसवपूर्व या प्रसव के समय या शिशु विकास की अवधि में मस्तिष्क की सदमा या चोट से उत्पन्न असामान्य मोटर नियंत्रण मुद्रा द्वारा व्यक्ति के अप्रगतिशील स्थिति के समूह के लक्षण परिलक्षित होते हैं।

(पप) **दृष्टि विकलांगता(विजुअली हैण्डीकैप्ड/वी.एच)– दृष्टिहीनता**–दृष्टिहीनता से तात्पर्य है निम्नलिखित किसी अस्वस्था से ग्रसित होना – (क) पूर्ण दृष्टिहीनता (ख) करेंटिंग लेंस के साथ अच्छी ऑख में 6/60 अथवा 20/200 से ज्यादा न दिखना (ग) दृश्यता सीमित होना 20 डिग्री का कोण व उससे भी खराब स्थिति । कम दृश्यता – कम दृश्यता वाले व्यक्ति से तात्पर्य है इलाज व मानक सुधार के बाद भी दृश्यता स्पष्ट न होना और कार्य करने के लिए सहायक यंत्रा का प्रयोग करना ।

(ख) विकलांगता की मात्राा– केवल वही उम्मीदवार विकलांग कोटे के तहत पात्रा हैं जो 40 प्रतिशत से कम विकलांगता से पीड़ित नहीं हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत से कम विकलांग हैं उन्हें सामान्य उम्मीदवार ही माना जाएगा, बशर्ते वे रोजगार सूचना की अन्य सभी योग्यता पूरी करते हों । उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी(केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्रा प्रस्तुत करना होगा ।

(ग) शारीरिक विकलांग कोटे के अभ्यर्थी उन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रा हैं जो पद उनके लिए चिन्हित किये गये हैं ।

10. **सेवारत कर्मचारी :–**

जो उम्मीदवार रेलवे सहित किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यम/प्रतिष्ठान में कार्यरत् है, उन्हे या तो उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए जिसमें नियोक्ता के द्वारा सेवा विवरण विधिवत् प्रमाणित किया गया हो या सम्बद्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्रा के साथ सीधे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पश्चिम मध्य रेलवे को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, हर तरह से पूर्ण अग्रिम आवेदन पत्रा की प्रति लिफाफे के ऊपर ''अग्रिम प्रति'' बड़े अक्षरों में लिखकर भेजी जा सकती है ताकि वह निर्धारित तिथि से पहले रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पमरे के कार्यालय में पहुॅच जाए। आवेदन पत्रा की अग्रिम प्रति पर तभी विचार किया जाएगा जब उचित माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/ पमरे के कार्यालय में अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा जिसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी ।

11. **अण्डमान, निकोबार एंव लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए :–**

अण्डमान ,निकोबार एंव लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि 01.03.2011 संध्या 18.00 बजे तक होगी। ऐसे उम्मीदवारों को उपयुक्त अधिकारी से जारी अण्डमान,निकोबार और लक्षद्वीप के अधिवास का प्रमाण पत्रा या अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में अंतिम स्कूल/कॉलेज से जारी प्रमाण पत्रा संलग्न करना होगा जिसमें यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार ने अपनी परीक्षा अण्डमान,निकोबार एंव लक्षद्वीप में स्कूल/कॉलेज से उत्तीर्ण की है ।

12ण आवेदन पत्रा निरस्ती के कारण :– निम्नलिखित में से कोई भी कमी, त्राुटि या अनियमितता होने पर आवेदन पत्रा, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

;पद्ध अंतिम तिथि को 18.00 घंटे के बाद किसी भी साधन/माध्यम से प्राप्त आवेदन

;पपद्ध इस रोजगार सूचना में दिए गए निर्धारित प्रारूप में नहीं प्रस्तुत किए गए आवेदन.

;पपपद्ध अपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन–पत्रा या अधिलेखन (ओवरराइटिंग), कांट–छांट या कुछ मिटाये जाने के निशान वाले आवेदन–पत्रा।

;पअद्धहस्ताक्षर रहित/दिनांक रहित आवेदन–पत्रा/साफ और स्पष्ट अंगूठे के निशान रहित और/या पहचान के चिन्हों के बगैर प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्रा।

;अद्ध फोटोग्राफ रहित या फोटोग्राफ की जेरॉक्स प्रति चिपकाया जाना ।

;अपद्ध फोटो के नीचे आवेदन प्रपत्रा में बॉक्स में हस्ताक्षर न किया जाना/अलग–अलग प्रकार के हस्ताक्षर किया जाना.

;अपपद्ध अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अपेक्षित मूल्य तथा वैधता वाले बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के बगैर प्राप्त आवेदन–पत्रा या अधिसूचना जारी करने से पहले अथवा अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद खरीदे गये बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर।

;अपपपद्ध आवेदन पत्रा को हिन्दी या अंग्रेजी में तथा उम्मीदवार द्वारा अपने हस्तलेख में न भरना।

;पगद्ध आवेदन प्रपत्रा में घोषणा पैरा, उम्मीदवार द्वारा उसके हस्तलेख में न लिखा होना या पैरा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना।

;गद्ध अजा/अजजा/अपिव, भूतपूर्व सैनिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यथियों के संबंध में उचित प्रमाण–पत्रा के बगैर, प्रमाण–पत्रा उचित प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्रा में प्राप्त न किया गया हो.

(xi) कम आयु/अधिक आयु के उम्मीदवार होना ।

(xii) आवेदन प्रस्तुत करने के समय अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता न रखना ।

(xiii)आवेदन के साथ अपेक्षित प्रमाण प्रत्राों की प्रतियां न संलग्न करना या प्रमाण पत्रा बिना स्व–साक्ष्यांकन के संलग्न करना.

(xiv)एक नाम से और एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन–पत्रा प्रस्तुत किया जाना ।

(xv) आवेदन का अधिसूचना की तारीख से पहले या अधिसूचना की अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होना या आवेदन बगैर तारीख का होना।

;गअपद्ध कोई अन्य मानी हुई अनियमितता ।

13. **भर्ती की प्रकिया**

13.1 चयन का आधार शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा (पी.ई.टी.) पास करने के बाद लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा (पी.ई.टी.) पास करना आवश्यक होगा अर्थात शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवार को ही लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा। इस चयन हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मैरिट तथा आरक्षण नियमों के अनुसार एक सीमित संख्या में मूल प्रमाण–पत्रा (दस्तावेज) के सत्यापन, अभ्यर्थी की पहचान की जॉच के लिए एंव संगत चिकित्सा जॉच के लिए बुलाया जाएगा।

13.2 **शारीरिक दक्षता परीक्षाः–(सभी श्रेणियों के लिए)**

सभी कोटि के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में शामिल होना होगाः–

पुरूष उम्मीदवार : एक अवसर में 6 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करने में सक्षम हों ।

महिला उम्मीदवार : एक अवसर में 3 मिनट में 400 मीटर की दूरी तय करने में सक्षम हों।

शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यार्थियों को शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा से छूट है एवं वे सीधे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रा होंगे।

टिप्पणी : शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के उपरोक्त मापदण्ड अनन्तिम है और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन और परिर्वतन किया जा सकता है। परिर्वतन की सूचना यदि कोई होगी तो समयानुसार दी जाएगी।

13.3 **शारीरिक दक्षता जांच /लिखित परीक्षा के लिए स्थान** :–

शारीरिक दक्षता जांच/लिखित परीक्षा निम्नलिखित मंडलों के किसी भी स्टेशन में आयोजित की जा सकती है।

;पद्ध जबलपुर ;पपद्ध भोपाल ;पपपद्ध कोटा

13.4. शारीरिक दक्षता जांच/लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को परीक्षा दिनांक से एक या दो दिन से अधिक ठहरना पड़ सकता है. उन्हें ठहरने/खाने–पीने का प्रबंध स्वयं करना होगा ।

13.5 शारीरिक दक्षता जांच/लिखित परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों को अनुशासन अवश्य बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता से उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है । इस संबंध में स्थान पर कमेटी का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

13.6 शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के समय या भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले नुकसान/दुर्घटना/क्षति की भरपायी के लिए सीधे व परोक्ष रूप से रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान वे शारीरिक एवं अन्य रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ्य रहें और ध्यान रखें कि उन्हें और उनसे दूसरों को किसी प्रकार का नुकसान/दुर्घटना/क्षति न हो।

13.7 उम्मीदवारों की नियुक्ति नियमानुसार उनके मेडिकल फिटनेस और पूर्ववृत्त सत्यापन में उपयुक्त पाए जाने पर ही की जायेगी।

13.8 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/प.म.रे. द्वारा उम्मीदवार का चयन किए जाने से उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा ।

13.9 **परीक्षा का पाठ्यक्रम :**

लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्रा दसवीं कक्षा के स्तर का होगा जो मुख्यतः बहुविकल्पीय (चार) होगा जिसमें सामान्यतः सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान एवं तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जायेगे।

प्रश्न पत्रा केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में होगा। प्रत्येक गलत जबाब का ऋणात्मक मूल्यांकन होगा।

13.10.शारीरिक दक्षता जॉच परीक्षा/लिखित परीक्षा तथा दस्तावेज जांच की तिथि और स्थान का निर्धारण रेल्वे भर्ती प्रकोष्ट/प.म.रे. द्वारा किया जायेगा तथा पात्रा उम्मीदवारों को डाक से सूचित किया जाएगा. परीक्षा का कार्यक्रम वेबसाइट तथा समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है।

13.11 शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के लिये दिनांक एवं परीक्षा स्थल का विनिश्चय रेलवे प्रशासन द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा, परीक्षा के स्थगन और/या केन्द्र/स्थान में परिर्वतन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.12 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पमरे अपने विवेक पर अतिरिक्त लिखित परीक्षा और/या शारीरिक दक्षता जॉच या पुनः परीक्षा का आयोजन कर सकता है या संपूर्ण लिखित परीक्षा/या शारीरिक दक्षता जॉच या उसका एक भाग रद्द कर सकता है।

टिप्पणी– शारीरिक दक्षता जॉच/लिखित परीक्षा केन्द्र में प्रवेश अनंतिम है क्योंकि बाद मे आवेदनों की पूर्ण रूप से संविक्षा/जांच कि जाएगी. यदि कोई अभ्यर्थी रोजगार सूचना में निर्धारित संपूर्ण आवश्यकताओं /शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी बाद में भी जब कभी पता चलता है तो निरस्त की जा सकती है। शारीरिक दक्षता जॉच/लिखित परीक्षा हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा जारी किया जाने वाला प्रवेश पत्रा अभ्यर्थी को यह अधिकार नहीं देता कि वह भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर और पैनल में अपना नाम दर्ज कराए।

13.13 **चिकित्सा वर्गीकरण के मानकः–**

ए–2	सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ्य। दृष्टि मानक –दूर की दृष्टिः 6/9 , बिना चश्में का 6/9 , नजदीक की दृष्टि का मानक 0.6 , बिना चश्में का 0.6, वर्ण दृष्टि ,द्विनेत्राी दृष्टि , दृष्टि क्षेत्रा तथा रात्रि दृष्टि अवश्य होनी चाहिये।
बी–1	सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ्य । दृष्टि मानक –दूर की दृष्टिः 6/9 , बिना चश्में के व चश्में के साथ 6/12 , ± 4 डी से अधिक पावर नहीं होना चाहिये। नजदीक की दृष्टि का मानक 0.6 ,पढ़ते समय व नजदीक का काम करते समय बिना चश्में के व चश्में के साथ 0.6, वर्ण दृष्टि ,द्विनेत्राी दृष्टि , दृष्टि क्षेत्रा तथा रात्रि दृष्टि अवश्य होनी चाहिये।
सी–1	सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ्य। दृष्टि मानक –दूर की दृष्टिः 6/12, बिना चश्में के व चश्में के साथ 6/18 , नजदीक की दृष्टि का मानक 0.6 , पढ़ते समय व नजदीक का काम करते समय चश्में के साथ या चश्में के बिना 0.6 होना आवश्यक है।
सी–2	सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से स्वस्थ्य। दृष्टि मानक दूर की दृष्टि–6/12, चश्में के साथ या चश्में के बिना निल, नजदीक की दृष्टि का मानक, पढ़ते समय व नजदीक का कार्य करते समय चश्में के साथ या चश्में के बिना 0.6 होना आवश्यक है।

उपर्युक्त विवरण तथा मानक संकेतिक हैं ,विवरणात्मक नहीं । भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये अन्य मानक लागू हैं। अन्य आवश्यक परीक्षण भी शामिल /लागू होंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सा मानक पूर्ण नहीं करते है कृपया आवेदन न करें।

13.14 **निःशुल्क रेल यात्राा पास :**

शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले केवल अजा/अजजा समुदायों के उम्मीदवारों को उनके नजदीकी रेलवे स्टेशन से परीक्षा के स्थान तक का और वापसी का निःशुल्क द्वितीय श्रेणी रेलवे पास जारी किया जाएगा । अन्य सभी अभ्यर्थी यात्राा एवं अन्य खर्च स्वयं वहन करेगें ।

14. सामान्य अनुदेशः–

14.1 रिक्तियों की संख्या संभावित है इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता हैं या इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। इस वजह से यदि किसी अभ्यर्थी को कोई क्षति या नुकसान होता है तो परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।

14.2 महिला उम्मीदवार भी पात्रा हैं। लेकिन वे नोट कर लें कि ड्यूटियों की प्रकृति कठिन है तथा बाहरी क्षेत्राों में ड्यूटियॉ करनी पड़ सकती हैं।

14.3 चयनित को जहॉ कहीं भी प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण को अभ्यर्थी सफलता पूर्वक प्राप्त करने के उपरांत, पश्चिममध्य रेलवे में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

14.4सभी अभ्यर्थी का चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, अनारक्षित रिक्तियों (सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित आयु वर्ग) हेतु विचार किया जाएगा. लेकिन समुदाय विशेष के कोटे के तहत रिक्तियों के लिए केवल उस समुदाय विशेष के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा तथा अभ्यर्थी के समुदाय में बाद में किसी भी तरह के परिवर्तन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

14.5 यदि कोई अभ्यर्थी किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत भर्ती चाहता है तो उसे उस कालम में सही का निशान लगाना चाहिये। उनका आवेदन उस समुदाय के उपयुक्त प्रोफार्मा में सत्यापित प्रमाण पत्रा के बिना होनें पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
14.6 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्राता मानदण्ड पूरा करते हों। यदि मापदण्ड पूर्ण नहीं करता है तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल उसका आवेदन किसी भी चरण में निरस्त कर देगा। यदि भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होनें के बाद भी उसे गलत पाया जाता है तो सेवा से अविलम्ब निष्कासित कर दिया जाएगा ।
14.7यदि इस रोजगार अधिसूचना के नियमों एवं शर्तो में कोई परिवर्तन होता है तो तत्समय मान्य नियम लागू होगे।
14.8 शारीरिक दक्षता जॉच/लिखित परीक्षा के लिये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ , पश्चिम मध्य रेल द्वारा बुलावा पत्रा डाक द्वारा (यूपीसी) से भेजे जायेंगे। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/ पमरे बुलावा–पत्रा के डाक द्वारा देरी से प्राप्त होनें या गलत पते पर पहुॅचनें के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। यदि उम्मीदवार के पते में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपनें स्वयं के हित में संबंधित डाकधर से बुलावा–पत्रा प्राप्त करनें की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
14.9 जिन अभ्यर्थीयों को किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में भाग लेनें से वंचित कर दिया गया हो ऐसे उम्मीदवारों को तब तक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उनका अनुपयुक्त घोषित किये जानें का समय आवेदन प्राप्त होनें की अन्तिम तिथि तक समाप्त नहीं हो जाता। ऐसे आवेदन पत्रा निरस्त कर दिये जायेंगे।
14.10 शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा आदि के लिये दिनांक एवं परीक्षा स्थल का निर्धारण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा किया जायेगा एवं इनका उल्लेख अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले बुलावा पत्राों में किया जायेगा।
14.11 सभी पुरूष उम्मीदवारों को रेलवे इकाई या किसी अन्य इकाई में समय–समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप, सक्रिय प्रादेशिक सेना में सेवा प्रदान करनी होगी।
14.12 सभी चयनित उम्मीदवारों को जहॉ भी आवश्यक हो वहॉ विशिष्ट कालावधि के लिये स्टाइपेन्ड (वृत्तभोगी) के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा जमानत धनराशि जमा करके क्षतिपूर्ति बंधक या करार को निष्पादित करना आवश्यक हो सकता है।
14.13 उम्मीदवारों का चयन उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जायेगा। सभी उम्मीदवारों को समय समय पर लागू नियमों / आदेशों के अनुसार उच्चतम वेतनमानों में पदोन्नति के लिये यथासमय विचार किया जायेगा।
14.14 चयनित उम्मीदवारों की तैनाती यथोउचित समय पर भारतीय रेलवे की आवश्यकता अनुसार की जायेगी। तैनाती का विशेष स्थान या विभाग या मंडल का आश्वासन नहीं दिया जा सकेगा।
14.15 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प.म.रे. चूकवश हुई किसी तरह की अनजानी त्राुटि या गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

15. <u>कदाचार का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई</u> :

15.1 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्रा भरते समय ऐसा कोई विवरण न दें जो झूठा हों। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे कॉट–छॉट का कोई प्रयास न करें या उनके द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज या इसकी सत्यापित/प्रमाणित प्रति में किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कोई कमी या त्राुटि हो तो ऐसी त्राुटि से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन–पत्रा भरते समय कोई तथ्यात्मक जानकारी न छिपाएं।
15.2 यदि कोई उम्मीदवार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ या पूर्व में किसी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में दोषी पाया गया हो :–
;पद्ध किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन हासिल करना. या
;पपद्ध छद्मरूपेण या
;पपपद्ध किसी अन्य व्यक्ति से छद्मरूपेण प्राप्त करना या
;पअद्ध बनावटी/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करना या
;अद्ध गलत या झूठी सूचनाएं देना या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना या
;अपद्ध चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई भी अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाया जाना या
;अपपद्ध परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इसी तरह का उपकरण साथ में रखना, ले जाना या प्रयोग करना या
;अपपपद्ध उत्तर पुस्तिका में अभद्र/अश्लील भाषा सहित असंगत बातें लिखना या
;पगद्ध परीक्षा हॉल में किसी भी अन्य तरह की शरारत/गड़बड़ी करना या
;गद्ध परीक्षा हॉल से प्रश्नपत्रा या उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाना या
;गपद्ध अलग समुदाय, अलग फोटो या अलग दस्तावेजों के साथ एक से अधिक आवेदन पत्रा भेजना या

;गपपद्ध परीक्षा के आयोजन के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा नियुक्ति कर्मचारियों को परेशान करना या कोई शारीरिक नुकसान पहुँचाना। उनके विरूद्ध नियमों/कानूनों के संगत प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई किए जाने के अलावा निम्न कार्रवाई की जा सकती है :–

(क) रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल द्वारा उस पद के चयन के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसके लिए वे उम्मीदवार हैं या

(ख) किसी भी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से स्थाई रूप में या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ , पश्चिम मध्य रेल द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है.

(ग) यदि वह पहले से सेवारत है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

16. **पते में परिवर्तनः–**

यदि उम्मीदवार के पते में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो अभ्यर्थी को अपनें स्वयं के हित में चाहिये कि संबंधित डाकधर से बुलावा–पत्रा प्राप्त करनें की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसके लिये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल डाक में देरी या गलत पते पर बुलावा पत्रा के वितरण के लिये जबाबदार नहीं होगा।

17. **कानूनी विवाद की स्थिति में क्षेत्रााधिकारः–**

किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर का अधिकार क्षेत्रा होगा ।

18. **विविध**

18.1 सम्पूर्ण रोजगार सूचना समस्त अनुलग्नक के साथ पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अनुलग्नक के साथ आवेदन का प्रिन्ट लेकर उसका उपयोग आरआरसी को आवेदन भेजने के लिए कर सकता है ।

18.2 किसी भी स्तर पर अतिरिक्त शारीरिक दक्षता / लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार रे.भ.प्रकोष्ठ के पास सुरक्षित है । भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया अथवा कुछ भाग निरस्त करने का अधिकार भी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास सुरक्षित है ।

18.3 यदि आवश्यक हो, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की पमरे पर कहीं भी पदस्थापना की जा सकती है ।

18.4 किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में रोजगार सूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

19. **रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का फैसला अन्तिम होगा :**

अभ्यर्थी की पात्राता, आवेदन को स्वीकारने या नामंजूर करने, निःशुल्क रेल पास जारी किए जाने, झूठी सूचना के लिए दण्ड, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आबंटन, चयनित उम्मीदवारों को पद/स्थान के आबंटन तथा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल का निर्णय अन्तिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी तरह की पूछताछ या पत्रा–व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

20. **चेतावनीः–**

वह अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करनें या अन्य सुविधा प्राप्त करनें के लिये जिसमें मुफ्त यात्राा सुविधा परीक्षा में सम्मिलित होनें के लिये जाली प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करता है , वह न केवल इस परीक्षा में उम्मीदवारी के लिये अयोग्य घोषित किये जायेंगे वरन आनें वाली सभी परीक्षाओं के लिये जो किसी भी रेलवे/ रेलवे भर्ती बोर्ड /अन्य भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संचालित किये जाते हैं उनके लिये पूरे भारत वर्ष के लिये आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

21. **अति महत्वपूर्ण** : रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे,ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेन्ट या कोचिंग सेंटर नियुक्त नहीं किया है. उम्मीदवारों को ऐसे किसी व्यक्ति/एजेंसियों के किसी दावे के प्रति सचेत किया जाता है। लिखित परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्राक का प्रयोग किया जाएगा तथा कम्प्यूटर से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मैरिट के आधार पर किया जाएगा । बेईमान तत्वों से कृपया सावधान रहें और उनके बहकावें में न जाएं। ऐसे तत्वों की यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इस तरह की शिकायते उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) , प.म.रे. या वरिष्ठ महा प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल की जानकारी में लाई जा सकती है।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती)
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे
जबलपुर (मध्य प्रदेश) –
482001

❋❋

उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्रा उपर्युक्त प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्रा में प्राप्त कर लेना चाहिए तथा सत्यापन के समय मूल प्रमाण–पत्रा प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर वे अयोग्य ठहराये जा सकते हैं। विवरणिका के अध्याय 13 के अनुसार यह अनिवार्य है (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्राालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित)।, चूँकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रा प्रस्तुत कर रहे हैं अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे अनुदेशों का अनुपालन कड़ाई से करें ।

❋❋

अनुलग्नक–I

अजा/अजजा उम्मीदवारों हेतु जाति प्रमाण–पत्रा का प्रारूप

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्रा का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती '/कुमारी ' .... पुत्रा '/पुत्राी ' श्री .... निवासी ग्राम/कस्बा ' .... जिला/संभाग .... राज्य/संघ .... अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है.

(1) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (2) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (3) संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्रा) आदेश 1951 (4) संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्रा) आदेश 1951 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956, मुम्बई रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचाल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रा (रिआर्गेनाईजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित (5), संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956 (6), संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित (7) ' संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962 (8) संविधान (दादर एव नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962, (9) ' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 (10) ' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967, (11) संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 (13) संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970, (14) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश–1978 (15) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश–1978.

2. उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन–पत्रा जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेशों से अन्यत्रा विस्थापित हुए हैं.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित यह प्रमाण–पत्रा श्री/श्रीमती/कु. ...., जो कि श्री/श्रीमती/कु. .... के पिता/माता हैं, गॉव/कस्बा .... जिला/संभाग .... राज्य/संघशासित प्रदेश ' के हैं और .... जाति/जनजाति ' से संबंधित हैं जिसे .... राज्य संघशासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं.

जारीकर्ता .... (निर्धारित अथारिटी का नाम) द्वारा पत्राा सं0 .... दिनांक .... के तहत.

3. श्री/श्रीमती/कु. .... और उसका परिवार साधारणतः.................................. गॉव/कस्बे.. जिले/डिवीजन .... राज्य में निवास करता है.

स्थान ...., राज्य/संघशासित प्रदेश, तिथि .... हस्ताक्षर पदनाम (कार्यालय मुहर)

(') जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें. कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें ('), उस पैराग्राफ को काट दें जो लागू न हो.

टिप्पणी : ''साधारणतः निवासी'' का अर्थ यहॉ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 30 में उल्लिखित है ।

सत्यापन प्रमाणपत्रा जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधीश / डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम वर्ग स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट/ एसडीएम / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम न हो) ।
2. (प) मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (पप) अतिरिक्त मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट(पपप) प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (पअ) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पर से कम न हो (अ) एसडीओ (अभ्यार्थी या अभ्यार्थी के परिवार से सम्बंधित क्षेत्रा स्थित) (अप) प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप टापू)

अनुलग्नक–II

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्रा का प्रपत्रा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्रा/पुत्राी .... ग्राम .... जिला/मंडल .... प्रदेश .... के निवासी हैं .... समुदाय से संबंधित हैं जिसे पिछड़ी जाति के रूप में निम्नलिखित अनुसार मान्यता प्राप्त है.

1. भारत के असाधारण राजपत्राा भाग–1 खंड–1 सं. 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 को प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93–बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितंबर, 1983.
2. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/9/94–बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/7/95–बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995.
4. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकलप सं0 12011/44/96–बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर,, 1996.
5. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 129 दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93–बीसीसी.
6. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 164 दिनांक 01 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/12/96–बीसीसी
7. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 236 दिनांक 11 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/99/94–बीसीसी.
8. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 239 दिनांक 03 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/13/97–बीसीसी.
9. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/12/96–बीसीसी.
10. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93–बीसीसी.
11. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 241 दिनांक 27 अक्टुबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/98–बीसीसी.
12. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 270 दिनांक 06 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/88/98–बीसीसी.
13. भारत के असाधारण राजपत्रा भाग–1 खंड–1 सं0 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/36/99–बीसीसी.

श्री/श्रीमती/कु. .... और उसका परिवार साधारणतः .... राज्य के ....जिले का निवासी है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8/9/1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93–स्था. (एससीटी) की अनुसूचित के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियॉ/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है.

दिनांक.................................

मुहर जिलाधीश/उपायुक्त आदि

सील ....

टिप्पणी : यहॉ प्रयुक्त '' साधारणतः निवासी'' का अर्थ वही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 में वर्णित है ।

अनुलग्नक ।।।

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार द्वारा रे.भ.बोर्ड की परीक्षा शुल्क में छूट हेतु स्व–घोषणा।

(रोजगार सूचना सं. .... के पद हेतु आवेदन पत्रा के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा प्रपत्रा)

मैं .... पुत्रा/पुत्राी श्री .... निवासी ग्राम/शहर/नगर/............................. जिला............................ प्रान्त .... एतद् द्वारा घोषित करता/ करती हूॅ कि मैं .... अल्पसंख्यक समुदाय से हूॅं (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात् मुस्लिम /ईसाई /सिक्ख/बौद्ध/पारसी का उल्लेख करें)।

....

दिनांक.................. उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान .... उम्मीदवार का नाम

टिप्पणी :– दस्तावेजों के सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को गैर न्यायिक स्टैम्प पर '' अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा–पत्रा'' शपथ पत्रा प्रस्तुत करना होगा कि वह

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम /ईसाई /सिक्ख/बौद्ध/पारसी) का है।

अनुलग्नक प्ट

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षा शुल्क में छूट हेतु आय का प्रमाण–पत्रा

1. उम्मीदवार का नाम..
2. पिता का नाम...
3. आयु..
4. निवास का पता...
5. परिवार की वार्षिक आय ....
   (अंको व शब्दों में)
6. जारी करने की तिथि ....
7. हस्ताक्षर ....
8. जारी करने वाले प्राधिकारी की सील..

टिप्पणीः– आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी श्रेणी का अर्थ है वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/– प्रतिवर्ष से कम है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी श्रेणी की पहचान हेतु निम्नलिखित प्राधिकारियों को आय का प्रमाण–पत्रा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर तक का राजस्व अधिकारी
2. स्वयं के निर्वाचन क्षेत्रा के व्यक्ति के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद
3. मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य प्रमाण–पत्रा अथवा रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी
4. केन्द्र सरकार के मंत्राी उप मु.का.अधि./रे.भ.प्रकोष्ठ को देश के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति हेतु सिफारिश कर सकते हैं।
5. अपने जिले के व्यक्ति हेतु सिफारिश कर सकते हैं।

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, जबलपुर
आवेदन प्रपत्रा

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन पत्रा भरने से पहले ध्यानपूर्वक दिशानिर्देश पढ़ लें

रोजगार सूचना क्र० 05/2010

01. आवेदक का नाम

02. पिता / पति का नाम

03. नजदीकी रेलवे स्टेशन

04. पत्राचार का पता

05. लिंग

06. राष्ट्रीयता

07. धर्म

08. वैवाहिक स्थिति

कृपया फोटो चिपकाएं में बॉक्स में हस्ताक्षर करें (फोटो एक माह से अधिक पुरानी न हो)

राज्य | पिन

सम्पर्क हेतु फोन न. एसटीडी कोड के साथ :

09.जन्म तिथि तिथि माह वर्ष

10. निशक्तता एवं प्रतिशत

11. समुदाय

12. आयु में छूट

13.सेवारत् कर्मचारी

14.यदि हॉ तो संगठन का नाम बताएं

15. शैक्षणिक योग्यता– उपयुक्त कॉलम में चिह्न लगाएं

16. भू.पू. सैनिक

17. शुल्क में छूट

एसएस एलसी/ मैट्रिक	एचएससी एसएससी	आईटी आई	डिप्लोमा	गैर तकनीकी		तकनीकी	
				स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक	स्नातकोत्तर

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ____________________

19. पहचान का व्यक्तिगत चिह्न 1.
....
2.
....

20. आईपीओ/ डिमांड ड्राफ्ट का विवरण तिथि :–
पोस्ट ऑफिस / बैंक का नाम एवं स्थान

1. नमूना हस्ताक्षर	**2. नमूना हस्ताक्षर**	**3. बाएं अंगूठे का निशान**	**4. दाएं अंगूठे का निशान**

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से पूर्ण रूप से सही है । मुझे पता है कि किसी स्थिति में दी गयी जानकारी अगर गलत/झूठी पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और मैं आपराधिक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार रहूँगा । अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का मैं पालन करूंगा ।

....
....
....
....
....
....

स्थान :–

दिनांक :– अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:– कृपया उपरोक्त पैराग्राफ को दिए गए स्थान पर अपनी हस्तलिपि में लिखें ।